

दिनांक- 09.12.17

खण्डपीठ-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी राजेश साधू छोटेलाल सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर उप0।

फरियादी रामसिया एवं आहत लालसिंह तथा जितेन्द्र उप0। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधि0 श्री पी0 के0 वर्मा द्वारा की गई।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी राजेश बाथम के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 323(2 शीर्ष), 325 एवं 506 भाग -2 तथा आरोपी छोटेलाल एवं साधू बाथम पर भा0द0सं0 की धारा 294, 323, 323/34, 325 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी राजेश बाथम को भा0द0सं0 की धारा 294, 323 (2 शीर्ष), 325 एवं 506 भाग-2 तथा आरोपी छोटेलाल एवं साधू को भा0द0सं0 की धारा 294, 323, 323/34, 325 एवं 506 भाग -2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क022 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)